

अध्याय 3

3 विद्युत क्षेत्र - लेन-देन की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

राज्य सरकार की कंपनियों तथा विद्युत क्षेत्र के सांविधिक निकाय की नमूना-जांच से उपलब्ध महत्वपूर्ण परिणाम इस अध्याय में सम्मिलित हैं:

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.1 माल की खरीद और माल सूची प्रबंधन

कंपनी ने ट्रांसफार्मर आयल की खरीद पर जांच खुली निविदा की बजाए लिमिटेड टेंडर लेकर ₹ 5.34 करोड़ का अधिक व्यय किया। एन.ए.बी.एल.¹ सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी के कारण कंपनी ₹ 198.54 करोड़ का माल उपयोग नहीं कर सकी। 31 मार्च 2018 तक, ₹ 1.73 करोड़ की कमी की जांच लंबित थी।

3.1.1 प्रस्तावना

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) हरियाणा के उत्तरी भाग में बिजली की आपूर्ति के लिए 33 किलोवोल्ट (के.वी.) के स्तर तक वितरण प्रणाली के कार्य को देखती है और उसका रख-रखाव करती है। वितरण नेटवर्क के रख-रखाव के लिए, कंपनी विभिन्न प्रकार के माल की खरीद और रख-रखाव करती है। कंपनी का माल प्रबंधन (एम.एम.) विंग, माल की खरीद और माल सूची प्रबंधन कार्यों का संचालन करता है।

कंपनी के एम.एम. विंग की एक लेखापरीक्षा, यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या खरीद आवश्यकताओं के वास्तविक निर्धारण के बाद मितव्यता, दक्षता और प्रभावी तरीके से किया गया और क्या कंपनी में एक वैज्ञानिक और प्रभावी माल सूची प्रबंधन प्रणाली मौजूद है या नहीं।

2013-18 के दौरान कंपनी के एम.एम. विंग ने ₹ 1,228.79 करोड़ मूल्य के 694 खरीद आदेश (पी.ओ.) दिए थे। कंपनी की खरीद की प्रमुख मदें वितरण ट्रांसफार्मर (₹ 523.22 करोड़), केबल्स और कंडक्टरज (₹ 312.78 करोड़), बिजली मीटर (₹ 135.01 करोड़) और पूर्व कास्ट सीमेंट पोल (₹ 61.01 करोड़) थे, जो कुल खरीद का 84 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच के लिए रैंडम आधार² पर ₹ 614.85 करोड़ (पी.ओ. का 16.43 प्रतिशत और मूल्य का 50.04 प्रतिशत) के मूल्य वाले 114 पी.ओ. का चयन किया, जिसमें सभी तीन³ केंद्रीय स्टोर और कंपनी के 10 डिवीजनल स्टोर्स शामिल हैं।

¹ परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड।

² स्तरीकृत नमूनाकरण विधि के आधार पर चयनित।

³ धूलकोट, पानीपत तथा रोहतक।

3.1.2 लेखापरीक्षा परिणाम

क माल की खरीद

i) ताजा ट्रांसफार्मर तेल की खरीद

दिसंबर 2012 से पहले, कंपनी खुली निविदाओं के माध्यम से ट्रांसफार्मर तेल खरीद रही थी। खरीद समय को कम करने और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.)⁴ से सीमित निविदाएं मंगवाकर ट्रांसफार्मर तेल की खरीद के लिए कंपनी के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया (दिसंबर 2012)। कंपनी ने 2013-18 के दौरान छः सीमित निविदाओं के माध्यम से ₹ 36.46 करोड़ के मूल्य का 4,354 किलोलीटर (के.एल.) ट्रांसफार्मर तेल खरीदा।

हमने अवलोकित किया कि कंपनी ने एक निविदा के अंतिमकरण में 15 दिन का समय लिया जबकि शेष पांच निविदाओं में, एकल भाग निविदाओं के माध्यम से खरीद के लिए 30 दिनों की प्रस्तावित समय सीमा के विरुद्ध 35 और 85 दिनों के मध्य समय लिया। इस प्रकार, कंपनी सीमित निविदा द्वारा समय बचाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकी। ट्रांसफार्मर तेल की खरीद में समय कभी महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि यह एक आसानी से उपलब्ध वस्तु है और आदेश देने के बाद इसके विनिर्माण की आवश्यकता नहीं है। सीमित निविदा का विकल्प लेने से पहले कंपनी ने खुली निविदा को अंतिम रूप देने में 54 दिन लगाए (अप्रैल 2012)।

यह भी देखा गया कि कंपनी ने मौजूदा बाजार मूल्य परिदृश्य का पता नहीं लगाया और किसी भी स्तर पर अन्य पड़ोसी राज्यों की बिजली उपयोगिताओं द्वारा भुगतान की गई दरों की तुलना नहीं की। पड़ोसी राज्यों की पावर यूटिलिटीज ने 2013-18 के दौरान जिस दर पर ट्रांसफार्मर तेल की खरीद की वह ₹ 1,947 प्रति किलो लीटर से लेकर ₹ 25,678 प्रति किलो लीटर (3 से 61 प्रतिशत) तक कम⁵ थी। परिणामस्वरूप, कंपनी ने सा.क्षे.उ. के माध्यम से 4,354 के.एल. ट्रांसफार्मर तेल की खरीद पर ₹ 5.34 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया था, जो कि खुले प्रतिस्पर्धा निविदाओं को आमंत्रित करके बाजार के माध्यम से खरीदा गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, सरकार की उच्च शक्ति खरीद समिति (एच.पी.पी.सी.) ने सीमित निविदा के द्वारा सा.क्षे.उ. से ट्रांसफार्मर तेल खरीदने की प्रक्रिया को समाप्त करने का फैसला किया (अगस्त 2018)।

ii) आवश्यकताओं से अधिक सामग्री की खरीद

कंपनी के खरीद मैनुअल में प्रावधान है कि इंडेंटिंग अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि अधिक इंडेंटिंग, जिसके परिणामस्वरूप निधि अनुचित अवरोधन और माल ले जाने की भारी लागत पड़ती है, से बचा जाए। पूर्णकालिक निदेशक निर्धारित भौतिक लक्ष्य, बजट प्रावधान और स्टोर्स में उपलब्ध भौतिक शेष को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष के दौरान खरीदी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की वार्षिक आवश्यकता को अंतिम रूप देते हैं।

⁴ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

⁵ 4,354 किलो लीटर की मात्रा के लिए यू.एच.बी.वि.नि.लि. द्वारा भुगतान किए गए ट्रांसफार्मर तेल की दरों की पी.ओ. में ट्रांसफर तेल की दरों के साथ तुलना की गई जो कि पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर कोयला फील्ड लिमिटेड क्षेत्रों की बिजली उपयोगिताओं द्वारा की गई है जो कि यू.एच.बी.वि.नि.लि. द्वारा ट्रांसफार्मर तेल की वास्तविक प्राप्ति तक अध्ययन है।

वार्षिक आवश्यकता से अधिक इंडेंटिंग और खरीद के कुछ मामले देखे गए:

- कंपनी ने मार्च 2012 में 164 किलोमीटर (के.एम.) हाई टेंशन एरियल बंचड (एच.टी.ए.बी.) तार खरीदी। निविदा प्रक्रिया के दौरान, कंपनी ने क्षेत्र आवश्यकताओं का हवाला देते हुए एच.पी.पी.सी. से प्रारंभिक निविदा मात्रा 113 से बढ़ाकर 164 किलोमीटर तक करने का अनुरोध किया।

हमने अवलोकित किया कि हालांकि 2012-13 के दौरान उपयोग के लिए केबल की वर्धित मात्रा की खरीद की गई फिर भी 2012-13 के दौरान इसकी खपत केवल 18.88 किलोमीटर थी। इस केबल का अधिकांश हिस्सा प्रतिस्थापन, मरम्मत और रख-रखाव कार्यों में कम मात्रा में उपयोग किया गया था और वर्ष 2013-14 से 2017-18⁶ के दौरान वार्षिक खपत 10.62 किलोमीटर से 34.09 किलोमीटर की सीमा में थी। कार्य/प्रयोजन, जिसके लिए केबल खरीदी गई थी, उन कार्यों को टर्नकी आधार पर कार्य प्रदान करके पूर्ण किया गया तथा ₹ 3.52 करोड़ मूल्य की 55.05 किलोमीटर केबल आपूर्ति की तिथि से 18 महीने की वारंटी अवधि की समाप्ति के बाद भी बिना प्रयोग हुए स्टोर में पड़ी थी (अक्टूबर 2018)।

आवश्यकता से अधिक केबल की खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 2.58 करोड़ के संबंधित ब्याज⁷ लागत के साथ ₹ 3.52 करोड़ धनराशि का अवरोधन हुआ।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2018) कि चालू वित्त वर्ष के दौरान इस केबल का उपयोग करने के प्रयास किए जाएंगे और इस केबल की और खरीद नहीं की गई है।

- कंपनी ने अगस्त 2014 में 1,800 किलोमीटर एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्सड (ए.सी.एस.आर.) की खरीद की और एक वर्ष में केवल 409 किलोमीटर ए.सी.एस.आर. की खपत हुई। अगस्त 2015 में 1,491 किलोमीटर कंडक्टर स्टोर्स में उपलब्ध था। हालांकि, उपलब्ध स्टॉक स्तर और कम खपत पैटर्न को अनदेखा करते हुए, कंपनी ने ₹ 2.79 करोड़ मूल्य के 600 किलोमीटर ए.सी.एस.आर. के आदेश को दोहराया (अगस्त 2016)। ए.सी.एस.आर. की पूरी मात्रा का उपभोग भी अप्रैल 2018 तक नहीं किया जा सका क्योंकि 288 किलोमीटर ए.सी.एस.आर. स्टोर में अभी भी पड़ा था। इस प्रकार, कंपनी ने वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए बिना बार-बार आदेश दिए और अपनी निधियों को अवरुद्ध कर दिया।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2018) कि ए.सी.एस.आर. को क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा सूचित मांग के आधार पर खरीदा गया था और 2017-18 से आगे, डेड इन्वेंटरी को नियंत्रित करने के लिए खरीद क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सूचित मांग की बजाय खपत पैटर्न पर आधारित होगी।

- कंपनी ने वार्षिक आवश्यकता का हवाला देते हुए ₹ 3.12 करोड़ मूल्य का 481 किलोमीटर का सिंगल कोर केबल खरीदी (जून 2013), यद्यपि स्टोर में यह केबल (मई 2013 में 1,074 किलोमीटर) पर्याप्त मात्रा में थी। इससे कुल उपलब्ध स्टॉक 1,555 कि.मी. तक बढ़ गया। कंपनी ने 2013-14 से 2015-16 के दौरान

⁶ 2013-14 में 34.09 किलोमीटर, 2014-15 में 10.62 किलोमीटर, 2015-16 में 15.60 किलोमीटर, 2016-17 में 11.76 किलोमीटर तथा 2017-18 में 18.04 किलोमीटर।

⁷ अप्रैल 2012 से मार्च 2018 की अवधि में कंपनी द्वारा सामग्री खरीदने हेतु लिए गए ऋण पर मई 2011 से सितंबर 2012 के ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) की 12.25 प्रतिशत की ब्याज दर पर परिकलित।

519 किलोमीटर केबल की खपत की तथा 2016-2018 के दौरान 554 किलोमीटर केबल की खपत की अर्थात् कुल 1,073 किलोमीटर केबल की खपत हुई।

मार्च 2018 तक कंपनी ने डी.एच.बी.वी.एन.एल. को ₹ 1.66 करोड़ मूल्य की 318 किलोमीटर केबल हस्तांतरित की (जुलाई 2016) जबकि ₹ 1.56 करोड़ मूल्य की 164 किलोमीटर केबल का स्टॉक स्टोर में पड़ा था। जून 2013 में पी.ओ. प्रस्तुत करते समय, चूंकि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक स्टोर में पड़ा था, कंपनी इस खरीद को पूरी तरह से टाल सकती थी। इस प्रकार, गलत प्रक्षेपण और आवश्यकता से अधिक केबल की खरीद के कारण, ₹ 3.12 करोड़ की धनराशि को अवरुद्ध कर दिया गया था। प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2017) कि वे 2017-18 के दौरान इस केबल की खरीद नहीं करेंगे और आवश्यकता को उपलब्ध स्टॉक से पूरा किया जाएगा।

- कंपनी ने अक्टूबर 2014 में कृषि पावर फीडर के लिए प्रति ट्रांसफार्मर ₹ 2.07 लाख के 400 पायलट एडवांस्ड ट्रांसफॉर्मर (पी.ए.टी.) खरीदे। इन ट्रांसफार्मरों की धीमी खपत दर तथा इस तथ्य के बावजूद कि वारंटी अवधि केवल 12 महीने थी, कंपनी ने मार्च 2015 में 250 ट्रांसफार्मरों के लिए दोबारा आदेश दे दिया। 31 मार्च 2017 को स्टॉक की स्थिति 109 ट्रांसफार्मर थी और 650 ट्रांसफार्मर की पूरी मात्रा केवल मार्च 2018 तक उपभोग की जा सकती थी। इस प्रकार, ट्रांसफार्मर की गति और स्टोर में रखी प्रमात्रा पर विचार किए बिना ट्रांसफार्मर की खरीद के परिणामस्वरूप ट्रांसफार्मरों की अत्यधिक खरीद हुई। इसके अतिरिक्त, अंतिम खरीद आदेश की आधी प्रमात्रा की वारंटी अवधि उनकी वास्तविक स्थापना से पहले ही स्टोर में रखे हुए ही समाप्त हो गई।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2018) कि इन ट्रांसफार्मरों की खपत में देरी, स्थापन और संचालन के संबंध में तकनीकी जानकारी की कमी के कारण थी। प्रबंधन के जवाब को ध्यान में रखते हुए, मार्च 2015 में दोबारा आदेश उचित नहीं था। प्रबंधन वारंटी अवधि व्यतीत होने के बाद ही पी.ए.टी. का उपयोग कर सकता था। कंपनी द्वारा स्थापन और संचालन के संबंध में संबंधित स्टाफ के उचित प्रशिक्षण के बाद ही उन्हें आदेश देना चाहिए था।


धन के अवरोधन से बचने के लिए कंपनी को भविष्य में माल की खरीद के लिए अपनी आवश्यकताएं निर्धारित करने की आवश्यकता है।

iii) वारंटी अवधि के भीतर क्षतिग्रस्त डी.टीज के प्रतिस्थापन के लिए दावा

कंपनी माल, प्राप्त की तिथि से 78 महीने की वारंटी अवधि या प्रतिस्थापन की तिथि से 72 महीने तक जो भी पहले हो, वितरण ट्रांसफॉर्मर (डी.टी.) की खरीद करती है। पी.ओ. की शर्तों में प्रावधान है कि आपूर्तिकर्ता उचित समय, जो कि 45 दिनों से अधिक नहीं हो, के भीतर वारंटी अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त डी.टीज को बदलेगा जिसके लिए कंपनी द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को तत्काल नोटिस दिया जाना था। आपूर्तिकर्ता से खराब माल बदलने के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर कंपनी क्षतियों की वसूली के लिए आपूर्तिकर्ता की बैंक गारंटी (बी.जी.) को भुना सकती है। जारी किए गए पी.ओ. में प्रावधान है कि यदि खराब माल 45 दिनों के भीतर बदला नहीं जाता है तो आपूर्तिकर्ता माल के मूल्य पर प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। इस ब्याज क्लॉज को अगस्त 2016 से बंद कर दिया गया था।

धूलकोट केंद्रीय स्टोर में 2013-18 के दौरान क्षतिग्रस्त 4,207 ट्रांसफार्मरों (वारंटी अवधि के भीतर) को बदलने में लिए गए समय को नीचे दिए गए चार्ट में इंगित किया गया है:

चार्ट 3.1: क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को बदलने में लगने वाला समय



क्षतिग्रस्त डी.टीज लेने के बाद 590 मामलों में 46 दिनों से 54 महीने तक की देरी आपूर्तिकर्ताओं की ओर से थी जिसके लिए कंपनी ने उनसे वसूले जाने वाले ₹ 0.22⁸ करोड़ का ब्याज प्रभारित नहीं किया। इन डी.टीज को बदलने में और फील्ड यूनिट के द्वारा लिए गए समय और सप्लायर द्वारा निर्धारित स्टोर में प्रतिस्थापन करने के लिए 45 दिनों के बाद प्रतिस्थापन में देरी को कारण माना जा सकता है। कंपनी ने कार्यस्थल से क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को समय पर बदलने के लिए किसी भी प्रभावी प्रणाली का विकास नहीं किया, ताकि 45 दिनों के निर्धारित समय के भीतर प्रतिस्थापन प्राप्त करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ वारंटी दावों का पालन किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 25.88 करोड़⁹ का सामान 46 दिनों से 48 महीने से अधिक की अवधि के लिए बेकार पड़ा रहा।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2018) कि कर्मचारियों और परिवहन की कमी के कारण देरी हुई और क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को गंतव्य स्टोर में स्थानांतरित करने में प्रभावी कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जहां डी.टी. को मरम्मत के बाद देरी से प्राप्त किया गया था, वहां आपूर्तिकर्ताओं से जुर्माना वसूलने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यह अनुशंसा की जाती है कि कंपनी को क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को कार्यस्थल से गंतव्य स्टोर तक पहुंचाने और उन्हें निर्धारित समय के भीतर बदलवाने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के पास वारंटी दावों को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

iv) खरीद प्रक्रिया में अक्षमताएं

हरियाणा सरकार ने सफल बोलीदाताओं को आदेश दी गई मात्रा के विभाजन के लिए नीति में संशोधन किया (अक्टूबर 2016) और राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) से खरीदे जाने वाले निविदा की मात्रा के 60 प्रतिशत तक की क्रय वरीयताओं की घोषणा की। इन उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए अग्रिम धन जमा में छूट, निष्पादन सुरक्षा, टर्नओवर की आवश्यकता और पिछले अनुभव के संबंध में अन्य छूट की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने (जनवरी 2015 और जून 2016) गत तीन वर्षों से खरीद दरों

⁸ अगस्त 2016 से पहले जारी किए गए सभी खरीद आदेशों के लिए परिगणित।

⁹ पांच वर्षों के ट्रांसफार्मर की विभिन्न क्षमताओं की औसत खरीद की गणना की गई।

के मानकों पर दरों की उचितता का निर्धारण करने के लिए संबंधित इंडेंटिंग विभागों को कम से कम तीन निकटवर्ती राज्यों में दरों का निर्धारण करने का निर्देश दिया।

2016-18 में कंपनी द्वारा जारी किए गए कुल 74 में से 24 निविदाओं¹⁰ की नमूना-जांच से निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकट हुईं:

- चार निविदाओं¹¹ में, अन्य राज्यों की खरीद दरों से कोई तुलना नहीं की गई थी तथा 12 निविदाओं¹² में तुलना के लिए उपयोग की गई अन्य राज्यों की दरें दो से छः वर्ष पुरानी थी।
- दो निविदाओं¹³ में, एम.एस.एम.ई. को प्रदान की गई मात्रा, उन्हें वरीयता देने के लिए, उक्त नीति के अनुसार उनके दावे से कम थी।

इस प्रकार, कंपनी एम.एस.एम.ई. को वरीयता प्रदान करने की हरियाणा सरकार की नीति का पालन करने में विफल रही।

ख माल सूची प्रबंधन

i) गुणवत्ता परीक्षण के साथ भुगतान को न जोड़ा जाना

मई 2016 (आठ प्रयोगशाला) तथा अक्टूबर 2018 (तीन प्रयोगशाला) में चयनित विभिन्न 11 एन.ए.बी.एल. सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं में आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त माल को गुणवत्ता जाँच के लिए भेजा जाता है। एन.ए.बी.एल. प्रयोगशाला में पारित माल को ही कंपनी स्टॉक में लेती है और इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालयों में उपयोग के लिए तैयार होता है। पी.ओ. के भुगतान शर्तों के अनुसार, परीक्षण परिणामों की प्रतीक्षा किए बिना माल की प्राप्ति की तिथि से 30वें/45वें दिन आपूर्तिकर्ता को पूर्ण भुगतान की जाती है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से व्यवस्थित ऋण से भुगतान किया जाता है।

इस प्रकार, गुणवत्ता परीक्षण पास करने वाली सामग्री पर भुगतान आकस्मिक नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप, भुगतान समय पर किए गए थे, जबकि प्रयोगशालाओं से परीक्षण के परिणामों में देरी के कारण सामग्री महीनों तक खपत के लिए उपलब्ध नहीं थी। नवंबर 2015¹⁴ से अप्रैल 2018 के दौरान प्राप्त माल और स्टॉक पर ली गई सामग्री से संबंधित 5,243 नमूना-जांच किए मामलों में से 1,554 मामलों में, सामग्री रखने और माल की प्राप्ति

¹⁰ ट्रांसफार्मर, केबल, ट्रांसफार्मर तेल, एल.टी.फ्यूज इकाई और जी.आई. वायर की खरीद के लिए।

¹¹ निविदा जांच संख्या 1957, 1965, 2491 तथा 1933


¹² निविदा जांच संख्या 1947, 1950, 1951, 1952, 1969, 1970, 1971, 1935, 1937, 1945, 1946 तथा 1930

¹³ निविदा जांच संख्या 1952 तथा 1965

¹⁴ ऑन-लाइन डाटा नवंबर 2015 से उपलब्ध था।

और स्टॉक में लेने की तिथि के मध्य महत्वपूर्ण समय अंतर¹⁵ देखा गया।

चार्ट 3.2: माल स्टॉक पर लेने में लिया गया समय



कंपनी 46 दिनों से 180 दिनों से अधिक के लिए ₹ 198.54 करोड़ की माल सूची का उपयोग नहीं कर सकी, यद्यपि भुगतान इसकी प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर कर दिया गया था। कंपनी को ₹ 1.89 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज वहन करना पड़ा क्योंकि प्राप्त सामग्री के लिए भुगतान धन की व्यवस्था करके किया गया था, लेकिन उसका तुरंत उपयोग नहीं किया गया था।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2018) कि प्रयोगशालाओं में आमतौर पर माल के परीक्षण में एक महीने से अधिक समय लगता है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि कंपनी ने नए खरीद आदेश में सामग्री के परीक्षण के खंड में संशोधन (मार्च 2016) किया है जिसमें कहा गया है कि सभी लॉट्स में से एक नमूने की बजाए एक लॉट में से एक नमूने को यादृच्छिक रूप से परीक्षण के लिए लिया जाएगा तथा गैर-नमूना लॉट्स को परीक्षण के बिना तुरंत इस्तेमाल किया जाएगा। परीक्षण के परिणामों में तेजी लाने के लिए कंपनी अनुभवी प्रयोगशालाओं द्वारा अपने नमूनों के परीक्षण के लिए प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं को बड़ी संख्या में सूचीबद्ध करने पर विचार कर सकती है। सामग्री के परीक्षण के खंड में संशोधन इस चिंता का समाधान नहीं करता है। इसके विपरीत, यह सामग्री की गुणवत्ता आश्वासन स्तर को प्रभावित कर सकता है क्योंकि परीक्षण के लिए नमूने की संख्या कम कर दी गई है।

ii) माल सूची स्तर का पालन न किया जाना

कंपनी ने 2016-17 तक वस्तुवार न्यूनतम, अधिकतम और पुनः क्रमिक स्तर तय नहीं किए थे। कंपनी ने सभी मदों के लिए पिछले तीन वर्षों के क्रमशः चार और छः महीने की औसत खपत के बराबर माल सूची के न्यूनतम और अधिकतम स्तर की सूची तय की (फरवरी 2017) लेकिन कोई पुनः क्रमिक स्तर तय नहीं किया। तथापि, यह देखा गया कि इन स्तरों का अनुपालन नहीं किया गया था, उदाहरणतः 31 मार्च 2017 तक डी.टी.जी की माल सूची स्तर 2,964 थी (मूल्य ₹ 34.60 करोड़)। कंपनी ने 2017-18 के दौरान डी.टी. की नई आपूर्तियां स्वीकार की और 31 मार्च 2018 तक स्टॉक स्तर 12,556 (₹ 107.79 करोड़) तक पहुंच गया जो कि 9,468 के अधिकतम स्तर से अधिक था। 2017-18 के दौरान अधिकतम स्तर से अधिक स्टॉक में ट्रांसफार्मर की मात्रा 22 से 200 प्रतिशत थी, जो कि ₹ 26.74 करोड़ के बराबर थी।


¹⁵ सामग्री के परीक्षण और भुगतान के लिए 45 दिनों के समय की अनुमति के बाद।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2018) कि माल सूची के न्यूनतम और अधिकतम स्तर पहली बार तय किए गए थे और आने वाले वित्तीय वर्ष में ऐसे स्तर निर्धारित करने के लिए उनकी समीक्षा की जाएगी, जो वास्तविक हों।

iii) उच्च माल सूची स्तर का वित्तीय प्रभाव

टैरिफ विनियमों के अनुसार, एच.ई.आर.सी. टैरिफ के माध्यम से वसूली जाने वाली कार्यशील पूंजी पर ब्याज की अनुमति के लिए रख-रखाव पुर्जों के रूप में आरंभिक स्थाई अचल संपत्तियों के एक प्रतिशत की अनुमति देता है। नीचे दिए गए चार्ट में माल सूची का हिस्सा बनने वाले पुर्जों का मूल्य इंगित किया गया है और पिछले पांच वर्षों के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा इसकी अनुमति दी गई है:

चार्ट 3.3: एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत रख-रखाव/पुर्जों का मूल्य



एच.ई.आर.सी. मानदंडों के अनुसार पुर्जों के रख-रखाव के स्तर को बनाए न रखने के कारण, कंपनी को 2013-14 से 2017-18 के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा वित्त प्रभारों की अनुमति न देने के कारण ₹ 43.84 करोड़¹⁶ का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा। इसके अतिरिक्त, सितंबर 2016 तक ₹ 135.01 करोड़ की वर्तमान माल सूची में ₹ 50 करोड़ तक की माल सूची कम करने के निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.) के निर्णय (नवंबर 2016) के बावजूद, कंपनी ने उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की और सूची स्तर मार्च 2018 तक बढ़कर ₹ 237.60 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2017 तक डी.टी.ज ₹ 82.89 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2018 तक ₹ 145.05 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2018 तक, स्टोर की मर्दे (केबल्स, उच्च क्षमता ट्रांसफार्मर और कंडक्टर) जिनका मूल्य ₹ 19.96 करोड़ (कुल सामान का लगभग 8 प्रतिशत) माल सूची का हिस्सा थे जो तीन साल से अधिक पहले खरीदे गए थे और उनकी खपत दर बहुत धीमी थी (कुछ मामले पैराग्राफ 3.1.2 ए (ii) में संदर्भित हैं)। कंपनी को सूची स्तर को नियत करने के लिए परिचालन की आवश्यकतानुसार कदम उठाने चाहिए। परिचालन की

¹⁶ अपने टैरिफ और डू-अप ऑर्डर में एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत मानदंडों से परे रख-रखाव पुर्जों के मूल्य पर वर्ष-वार ब्याज दर पर काम किया। 2013-18 की अवधि के दौरान एच.ई.आर.सी. से परे रख-रखाव पुर्जों का मूल्य ₹ 395.45 करोड़ था।

आवश्यकता के आधार पर औचित्य के साथ पुर्जों के रख-रखाव के स्तर को उठाने के लिए एच.ई.आर.सी. के समक्ष इस मामले को उठाना चाहिए।

iv) स्क्रेप का निपटान न होना

स्टोर्स/कार्यशालाओं में सृजित स्क्रेप में एल्यूमीनियम, पीतल, केबल, कंडक्टर, तांबा, मीटर, लौह इत्यादि का स्क्रेप शामिल होता है। ई-नीलामी के माध्यम से 2015-18 के दौरान ₹ 73.37 करोड़ के स्क्रेप का निपटान किया गया था। कंपनी के बी.ओ.डी. मंडल ने निर्देश दिया (सितम्बर 2015) कि बेकार सामग्री या स्क्रेप 30 दिनों से अधिक समय तक स्टोर में नहीं रहना चाहिए और स्क्रेप का निपटान तीव्र होना चाहिए। एच.टी.ए.बी केबल (195.71 मीट्रिक टन) का स्क्रेप एकत्र हो गया था (अप्रैल 2016) और एक बड़ा क्षेत्र घेर रहा था। स्क्रेप बेचने की बजाय कंपनी ने इन्सुलेटेड कंडक्टर के रूप में इसका प्रयोग करने का निर्णय लिया और तदनुसार निर्देश दिए। क्षेत्रीय कार्यालयों ने सूचित किया (फरवरी से जून 2017) कि आकार में ज्यादा एवं कम इन्सुलेशन प्रतिरोध (आई.आर.) मूल्य का होने के कारण इनका उपयोग नहीं हो सका। 50 मीट्रिक टन को पुनः उपयोग के लिए रखने के बाद इस केबल को स्क्रेप के रूप में नीलामी करने के लिए कंपनी के निपटान विंग के प्रस्ताव (फरवरी 2017) के बावजूद कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। कंपनी ने अप्रैल 2016 से मार्च 2018 के दौरान केवल 28 मीट्रिक टन स्क्रेप का इस्तेमाल किया था और ₹ 3.54 करोड़ (कंपनी द्वारा आकलित मूल्य) का 385 मीट्रिक टन का स्क्रेप 31 मार्च 2018 तक पड़ा था, जो स्टोर की जगह घेरे हुआ था। कंपनी को अतिरिक्त निधियां सृजित करने और भंडारण स्थान को खाली करने के लिए समयबद्ध तरीके से स्क्रेप को निपटाने के लिए कदम उठाने पर विचार करना चाहिए।

(ग) भौतिक सत्यापन और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

i) स्टोर्स का लेखा और भौतिक सत्यापन

इस संबंध में निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गई थी:

- स्टोर्स के सत्यापन के लिए अनुदेश स्टॉक सत्यापनकर्ता द्वारा स्टोर्स की सभी मदों के वार्षिक स्वतंत्र सत्यापन का प्रावधान करते हैं। निर्माण कार्य (कार्यस्थल) पर उपलब्ध सामग्री का साल में कम से कम एक बार भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। स्टॉक सत्यापनकर्ता के दो स्वीकृत पदों के विरुद्ध, केवल एक ही व्यक्ति को काम पर लगाया गया था वह भी पुनः रोजगार के आधार पर। स्टॉक सत्यापनकर्ता ने जनवरी 2016 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान लगभग 12 प्रतिशत वस्तुओं को स्टोर्स के भौतिक सत्यापन में शामिल किया। इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर पड़ी सामग्री के भौतिक सत्यापन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।
- 31 मार्च 2018 तक, ₹ 1.73 करोड़ की कमी की जांच लंबित थी और इनमें से ₹ 82.15 लाख मार्च 2015 से पहले की अवधि से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-18 के दौरान वसूलनीय राशि माल की प्रमाणित कमी के कारण ₹ 10.43 लाख से बढ़कर ₹ 2.13 करोड़ हो गई। हालांकि, इस तरह की कमी के लिए डिफॉल्टिंग अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित न करने के कारण इसे वसूल नहीं किया जा सका। अधीक्षक अभियंता (एस.ई.) स्टोर, धूलकोट द्वारा गठित एक समिति

(जून/जुलाई 2017) ने अपने तीन¹⁷ डिवीजनल स्टोर्स के साथ केंद्रीय स्टोर पानीपत का स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया और ₹ 1.02 करोड़ की कमी की सूचना दी जिसके लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी (मई 2018)।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2018) कि स्टोर की मदों के भौतिक सत्यापन के लिए एक समिति गठित करके अलग व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त, अधीक्षक अभियंता द्वारा गठित समिति द्वारा यथा इंगित कमी के लिए दोषी अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

- कंपनी ने लेखा विंग द्वारा काम पूरा होने के एक महीने के निर्धारित समय के भीतर कार्य-प्रभार और उसके बाद अंतिम रूप से कार्यस्थल¹⁸ पर सामग्री खाता पर सामग्री जमा करना सुनिश्चित नहीं किया है। हमने पाया कि 348 निर्माण कार्यों के खातों से संबंधित ₹ 15.76 करोड़ के माल को अभी तक 90 अधिकारियों द्वारा जमा नहीं किया गया था (मार्च 2018) और उनकी विलंबता अवधि निम्नानुसार थी:

तालिका 3.1: एम.ए.एस. खातों की लंबनता

कार्यों के पूरा होने के बाद की समय अवधि	31 मार्च 2018 तक एम.ए.एस. खातों की लंबित संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़ में)
एक वर्ष से अधिक	122	1.98
छ: महीने से एक वर्ष तक	77	3.37
छ: महीने से कम	149	10.41
कुल	348	15.76

एम.ए.एस. के समय पर प्रस्तुत न करने से कार्य प्रभारी द्वारा माल का गबन किए जाने का जोखिम रहता है।

- 31 मार्च 2018 तक समायोजन के लिए ₹ 1.98 करोड़ मूल्य के अंतर-स्टोर लेन-देन के 141 मामले लंबित थे। इनमें से ₹ 0.37 करोड़ और ₹ 1.61 करोड़ के लेन-देन क्रमशः 2016-17 और 2017-18 से संबंधित हैं।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी स्टोर्स के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कदम उठा सकती है तथा माल के लेन-देन का उचित लेखांकन सुनिश्चित करना चाहिए।

ii) माल सूची प्रबंधन प्रणाली

कंपनी ने (सितंबर 2015) ऑनलाइन माल सूची प्रबंधन प्रणाली (आई.एम.एस.) प्रारंभ की। आई.एम.एस., पी.ओ. की नियुक्ति से सामग्री की प्राप्ति के लेन-देन रिकॉर्ड करने और क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचना जारी करने के लिए मंच प्रदान करता है। यह, रसीद और स्टॉक जारी करने, इनवेंटरी होल्डिंग, माल सूची की लागत आदि पर विभिन्न रिपोर्ट सृजित करता है। हमने आई.एम.एस. में निम्नलिखित कमियों को देखा:

¹⁷ कैथल, करनाल तथा पेहोवा।

¹⁸ कार्यस्थल पर सामग्री खाता आमतौर पर एम.ए.एस. के नाम से जाना जाता है जो कि एक विशेष काम के खाते के रूप में स्टोर से जितनी भी सामग्री निकाली गई और अन्य कार्यों के लिए सामग्री स्थानांतरित की गई, उसकी खपत और बकाया सामग्री को दर्शाता है। यह खाता उन प्रमुख कार्यों की सामग्री के उचित लेखांकन को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रभावी नियंत्रण उपकरण है जो एक से अधिक वित्तीय वर्ष में फैल सकता है।

- आई.एम.एस. द्वारा बताई गई वस्तुओं की आयुवार रिपोर्ट गलत थी क्योंकि ये उस अवधि पर आधारित नहीं थी, जबसे वे स्टोर में रखी हुई थी। इसके बजाय ये अंतिम बार दर्ज लेन-देन (रसीद/अंक) पर आधारित थे। यदि प्रणाली में लेन-देन की प्रविष्टि की जाती है, तो उस वस्तु की पूरी मात्रा को हाल ही के स्टॉक में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, प्रणाली के माध्यम से माल सूची की आयु की निगरानी करना संभव नहीं था।
- आई.एम.एस. द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में दर्शाई मालसूची के न्यूनतम और अधिकतम स्तर में प्रबंधन द्वारा निर्धारित स्तरों में अंतर था।
- स्टोर संगठन द्वारा प्रदान की गई स्क्रेप सूची की मात्रा में अंतर था, तथा जो नवंबर 2016 से आई.एम.एस. द्वारा दिखाया गया है। कंपनी के निपटान विंग ने (नवंबर 2016) अंतर देखा और स्टोर विंग से इसे ठीक करने का अनुरोध किया। तथापि, 16 महीने के अंतराल के बाद भी, ₹ 2.67 करोड़ (मार्च 2018) का अंतर था। सरकार ने बताया कि स्क्रेप के मूल्य में अंतर इस तथ्य के कारण था कि आई.एम.एस. में नीलाम की गई सामग्री तब दिखाई जाती है, जब इसे वास्तव में उठाया गया था। इस प्रकार, प्रणाली में सुधार की गुंजाइश है। कंपनी प्रणाली के माध्यम से माल सूची की प्रभावी निगरानी को सक्षम बनाने के लिए कमियों को दूर करने पर विचार कर सकती है।

(घ) गुणवत्ता आश्वासन एवं पर्यावरण संरक्षण

i) गुणवत्ता आश्वासन योजना

कंपनी ने (अप्रैल 2014) गुणवत्ता आश्वासन योजना (क्यू.ए.पी.) को अपनाया जिसके लिए आवश्यक था कि कंपनी अपने अधिकारियों को ₹ 30 लाख तक की सामग्री के पूर्व वितरण निरीक्षण और ₹ 30 लाख से अधिक की सामग्री के लिए तीसरे पक्ष के निरीक्षण के लिए मनोनीत किया जाना था। हमने पाया कि तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण मार्च 2015 तक किया गया था तथा इसके बाद सभी सामग्रियों के लिए सभी निरीक्षण कंपनी के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे थे और इसके लिए थर्ड पार्टी को सूचीबद्ध नहीं किया गया था।

कंपनी के क्रय विनियमन सामग्री के निरीक्षण के लिए गुणवत्ता जांच कक्ष की स्थापना की आवश्यकता पर बल देता है। तथापि, स्थापना के तीन महीनों के भीतर ही जांच कक्ष को भंग कर दिया गया। सरकार ने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गुणवत्ता नियंत्रण का वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ था।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2018) कि 2016 में बोलीदाताओं की कम भागीदारी के कारण निरीक्षण के लिए थर्ड पार्टी की नियुक्ति पूरी नहीं हो सकी। कंपनी ने 2016 के बाद बोली शुरू नहीं की है।

i) पर्यावरण संरक्षण

विभिन्न प्रकार के स्क्रेप, साफ और गंदे ट्रांसफार्मर तेल आदि जो स्वाभाविक तरीके से नष्ट नहीं होते हैं और पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकते हैं, उनको स्टोर में रखा जाता है। ट्रांसफार्मर तेल में पोलिक्लोरीनेटेड बायफेनिल (पी.सी.बी.) होता है, जो एक सिंथेटिक रसायन है, जिसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है और यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है। बेकार पड़े ट्रांसफार्मरों को नीलामी से पहले विखंडित किया जाता है और धोकर साफ किया

जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान, गंदे ट्रांसफार्मर तेल के साथ मिले पानी को सीधे स्टोर परिसर के बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि नीचे दी गई छवियों से स्पष्ट होता है:



कंपनी ने पर्यावरण संरक्षण हेतु बहिस्राव उपचार संयंत्र (ई.टी.पी.) की स्थापना नहीं की है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने स्टोर और स्क्रेप के संचालन और निपटान के लिए अपनी गतिविधियों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का भी मूल्यांकन नहीं किया है।

सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए आश्वस्त किया (अक्टूबर 2018) है।

निष्कर्ष

कंपनी ने खुले निविदाओं की बजाय सीमित निविदा जांच का उपयोग करके 4,354 के.एल. ट्रांसफार्मर तेल की खरीद पर ₹ 5.34 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। वारंटी दावों के अनुपयुक्त संचालन के कारण, ₹ 25.88 करोड़ का उपयोग योग्य सामान निष्क्रिय पड़ा रहा। एन.ए.बी.एल. सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने में देरी के कारण कंपनी 46 दिनों से 180 दिनों से अधिक अवधि के लिए ₹ 198.54 करोड़ की सामान का उपयोग नहीं कर सकी, जबकि इसके प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर भुगतान किया जा चुका था। 31 मार्च 2018 तक, ₹ 1.73 करोड़ की कमी की जांच लंबित थी और इनमें से ₹ 82.15 लाख मार्च 2015 से पहले की अवधि से संबंधित थे।

हरियाणा विद्युत खरीद केन्द्र

3.2 ब्याज का परिहार्य बोझ

एच.पी.पी.सी. द्वारा इरेडा के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में जी.बी.आई. के विलंबित भुगतान पर ब्याज लगाने संबंधी कोई दंडात्मक प्रावधान शामिल न करने के कारण बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को ₹ 2.72 करोड़ का परिहार्य खर्च वहन करना पड़ा।

भारत सरकार (जी.ओ.आई.), नवीन और नवीकरणीय विद्युत मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) ने रूफटॉप फोटोवोल्टिक (पी.वी.) और अन्य छोटे बिजली संयंत्रों को गति प्रदान करने के लिए (जून 2010) दिशानिर्देश जारी किए। इस उद्देश्य के लिए जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव¹⁹ (जी.बी.आई.) पर एक कार्यक्रम शुरू किया। एम.एन.आर.ई. द्वारा इस कार्यक्रम के लिए 'कार्यक्रम प्रशासक' के रूप में भारतीय अक्षय विद्युत विकास एजेंसी (इरेडा) को नामित

¹⁹ हरियाणा विद्युत खरीद केन्द्र (एच.पी.पी.सी.) के लिए जी.बी.आई. ₹ 12.24 प्रति इकाई थी जो कि ₹ 17.91 प्रति इकाई (केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ दर) और ₹ 5.67 प्रति किलोवाट घंटा (2011-12 के दौरान पावर प्लांट के लिए ₹ 5.50 प्रति किलोवाट घंटा का बेस रेट है जो तीन प्रतिशत बढ़ा है।)

किया गया था। कार्यक्रम को लागू करने के लिए, स्थानीय बिजली वितरण इकाई को राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित उचित टैरिफ दर पर सौर विद्युत उत्पादक के साथ एक बिजली खरीद समझौता (पी.पी.ए.) पर हस्ताक्षर करने थे। सौर विद्युत परियोजना शुरू होने की तिथि से 25 साल की अवधि के लिए जी.बी.आई. बिजली वितरण इकाई को देय था।

अन्य बातों के साथ-साथ दिशानिर्देश यह भी बताता है कि जी.बी.आई. का लाभ उठाने के लिए विद्युत वितरण इकाई इरेडा के साथ सेवा समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर करेगी तथा एम.एन.आर.ई. स्थानीय बिजली वितरण इकाई को समय पर भुगतान करने के लिए इरेडा को धनराशि प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, एम.एन.आर.ई. से धन की प्राप्ति में देरी के मामले में, इरेडा वाणिज्यिक बैंकों जैसे वैकल्पिक स्रोत से राशि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगा, ताकि वितरण इकाइयों को जी.बी.आई. का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। इरेडा द्वारा वैकल्पिक निधिकरण स्रोत की व्यवस्था करने पर नुकसान उठाने की स्थिति में एम.एन.आर.ई. अतिरिक्त लागत की प्रतिपूर्ति करेगा।

हरियाणा बिजली खरीद केंद्र (एच.पी.पी.सी.), जो विद्युत वितरण कंपनियों²⁰ (डिस्कॉम) की ओर से बिजली खरीदता है, ने अगस्त 2010 में विद्युत वितरण कंपनियों की तरफ से आठ²¹ सौर विद्युत उत्पादकों के साथ बिजली खरीद समझौता किया। पी.पी.ए. के अनुसार, यदि 30 दिन के निर्धारित समय के भीतर एच.पी.पी.सी. द्वारा भुगतान नहीं किया जाता, तो वह वास्तविक विलंबित अवधि के लिए प्रति माह 1.25 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। कार्यक्रम के अंतर्गत जी.बी.आई. का लाभ उठाने के लिए एच.पी.पी.सी. ने इरेडा के साथ भी समझौता ज्ञापन किया (26 अप्रैल 2011)। समझौता ज्ञापन के अनुसार, एच.पी.पी.सी. को अगले महीने के 15वें दिन तक मासिक आधार पर जी.बी.आई. दावा प्रस्तुत करना था। इसके बदले में इरेडा को दावा प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर मासिक आधार पर एच.पी.पी.सी. के दावों का निपटान करना था। तथापि, एम.ओ.यू. में इरेडा द्वारा जी.बी.आई. दावों को सुलझाने में देरी करने पर ब्याज के भुगतान के लिए कोई धारा शामिल नहीं की गई थी।

वितरण कंपनियां अपने नियमित संचालन के लिए ब्याज वाले उधारित धन/नकद क्रेडिट पर निर्भर थे। एच.पी.पी.सी. ने इन ब्याज वाली निधियों का इस्तेमाल किया और सौर विद्युत उत्पादकों को समय पर भुगतान करने के लिए ₹ 2.72²² करोड़ का ब्याज दिया। इसलिए यह वांछनीय था कि एच.पी.पी.सी. को जी.बी.आई. के दावों के निपटारे में देरी के मामले में इरेडा से ब्याज का भुगतान प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन में एक धारा शामिल करके अपने वित्तीय हित को सुरक्षित करना चाहिए था।

²⁰ उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

²¹ मैसर्ज बी.के.जी. एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्ज एस.डी.एस. सोलर प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्ज चन्द्रलीला एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्ज सी. एंड एस. इलेक्ट्रिक लिमिटेड, मैसर्ज सुखबीर सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जामिल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्ज एच.आर. मिनरलज एंड एलॉय प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्ज तायल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड।

²² वर्ष 2011-12 के लिए (12.25 प्रतिशत), 2012-13, 2013-14 और 2014-15 (12 प्रतिशत), 2015-16 (12.5 प्रतिशत), 2016-17 (11.3 प्रतिशत) और 2017-18 (8.74 प्रतिशत) डिस्कॉम के लिए अनुमोदित कार्यशील पूंजी के ब्याज दर पर गणना की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अप्रैल 2018) कि इरेडा ने 352 दिनों तक की देरी के साथ एच.पी.पी.सी. के जी.बी.आई. दावों को जारी किया।

तालिका 3.2: जी.बी.आई. दावों की प्राप्ति में देरी

(₹ करोड़ में)

दिनों में देरी	मामलों की संख्या	जी.बी.आई. दावा राशि जो विलंब से प्राप्त हुई थी	ब्याज का भार
1-100	295	35.95	0.54
100-200	145	18.45	0.84
200-300	119	14.52	1.11
300 से अधिक	17	2.17	0.23
कुल	576	71.09	2.72

2012-18 के दौरान 352 दिनों तक की देरी²³ के साथ ₹ 72.68 करोड़ के कुल जी.बी.आई. दावे में से केवल ₹ 71.09 करोड़ जारी किए गए थे जबकि फरवरी से अप्रैल 2018 तक की अवधि के लिए इरेडा द्वारा ₹ 1.59 करोड़ की शेष राशि अभी तक जारी नहीं की गई है (जुलाई 2018)।

इस प्रकार, इरेडा के साथ अपने एम.ओ.यू. में वितरण कंपनियों के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए एच.पी.पी.सी. द्वारा किसी भी प्रावधान को शामिल नहीं करने की विफलता, जी.बी.आई. दावों के देरी से निपटारे के मामले में ब्याज का दावा करने के परिणामस्वरूप वितरण कंपनियों पर ₹ 2.72 करोड़ का परिहार्य ब्याज का भार पड़ा।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2019) कि इरेडा और एच.पी.पी.सी. के बीच समझौता ज्ञापन एक मानक दस्तावेज था और इसमें किसी भी विचलन की अनुमति नहीं थी। इरेडा द्वारा केंद्र सरकार से धन प्राप्त होने के बाद ही एच.पी.पी.सी. के मासिक दावों की प्रतिपूर्ति की गई थी, जबकि एक प्रतिशत छूट प्राप्त करने के लिए सौर डेवलपर्स को देय तिथियों पर भुगतान किया गया था। तथापि, फरवरी 2018 से इरेडा से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद अब बिल जारी किए जा रहे हैं।

कंपनी को अपने स्वयं के वित्तीय हित की रक्षा के लिए समझौता ज्ञापन में संशोधन के लिए एम.एन.आर.ई के दिशानिर्देशों अनुरूप फंड जारी करने हेतु प्रभाव डालना चाहिए था। इस संबंध में इरेडा पर भी एम.एन.आर.ई. के दिशानिर्देशों के अनुरूप फंड जारी करने के लिए प्रभाव डालना चाहिए। एम.एन.आर.ई. के दिशानिर्देश अनुसार यदि एम.एन.आर.ई. से इरेडा को फंड मिलने में विलंब होता है, तो इरेडा इस फंड की व्यवस्था किसी दूसरे वैकल्पिक स्रोत से करेगा तथा ऐसा करने से इरेडा को जो अतिरिक्त लागत देनी पड़ेगी, उस लागत की प्रतिपूर्ति इरेडा को कर दी जाएगी। परिहार्य ब्याज राशि की गणना, समय पर भुगतान करने पर प्राप्त हुई एक प्रतिशत छूट का समायोजन करने के बाद की गई है।

इस मामले से सरकार को संदर्भित किया गया था (मई 2018); उत्तर प्रतिक्रिया था (मई 2019)।

²³ डिस्कोमज द्वारा सौर विद्युत उत्पादकों को इरेडा से जी.बी.आई. दावों की प्राप्ति की तिथि से या 1 अगस्त 2018 जहां भुगतान प्राप्त होने बाकी हैं वहां 30 दिनों के अंतर से देरी की गणना की गई है।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.3 चोरी हो चुके ट्रांसफार्मर को बदलने के दौरान उपभोक्ताओं से कम वसूली

कंपनी ने बिक्री परिपत्र जारी किए जो विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम, 2014 के उल्लंघन में थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 99.48 लाख की कम वसूली हुई।

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) ने 8 जनवरी 2014 को विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम, 2014 अधिसूचित किया। विनियमन 4.4.2 (2) प्रावधान करता है कि लो-टेंशन कनेक्शन (घरेलू आपूर्ति कनेक्शन के अतिरिक्त), जहां एक उपभोक्ता को बिजली आपूर्ति के लिए ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है, उसे यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है, चोरी सहित चाहे वह कोई भी कारण हो, प्रतिस्थापन की लागत उपभोक्ता और लाइसेंसधारक के मध्य समान रूप से विभाजित की जाएगी। तदनुसार, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) ने विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम, 2014 को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुपालन के लिए जारी किया (12 फरवरी 2014)। इस विनियमन से पहले, डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने लागत के 20 प्रतिशत वसूलने के बाद चोरी हुए ट्रांसफार्मर को बदल दिया।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुपालन करने के लिए उपरोक्त विनियमन जारी करने के तुरंत बाद (12 फरवरी 2014) ही उसके निलंबन के आदेश (21 फरवरी 2014) जारी किए। कंपनी ने (18 अप्रैल 2014) फिर से बिक्री परिपत्र को संशोधित करते हुए उपभोक्ता से लागत का 50 प्रतिशत की वसूली करने पर विचार किया। इसने फिर से आदेशों को वापस ले लिया (21 अप्रैल 2014) और अगस्त 2015 तक उपभोक्ताओं से चोरी हुए ट्रांसफार्मर की 20 प्रतिशत लागत वसूलना जारी रखा। डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए (24 सितंबर 2015) कि यदि ट्रांसफार्मर वारंटी के अंतर्गत था तो ट्रांसफार्मर की 50 प्रतिशत लागत वसूल करे और जिन ट्रांसफार्मरों की वारंटी अवधि समाप्त हो चुकी थीं, उनके लिए 20 प्रतिशत लागत वसूल करे। कंपनी के उपरोक्त निर्देश विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम, 2014 के विनियमन 4.4.2 (2) के उल्लंघन में थे।

डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम, 2014 के अनुसार लागत का 50 प्रतिशत वसूल करने की बजाय 20 प्रतिशत की वसूली करके ही पांच सर्कलों²⁴ में चोरी हुए 623 ट्रांसफार्मरों को बदल दिया (जनवरी 2014 से नवंबर 2017)। अधिसूचित नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप कंपनी ने नमूना-जांच किए गए सर्कलों में उपभोक्ताओं से ₹ 99.48 लाख वसूलने में विफल रही। विनियमन का पालन न करना अभी भी जारी है (अगस्त 2018)।

यह अनुशांसा की जाती है कि कंपनी को ऐसी ही कार्यवाही अन्य सर्कलों में भी करनी चाहिए तथा एच.ई.आर.सी. दिशानिर्देशों को लागू करने और इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

इस मामले को सरकार और कंपनी को भेजा गया था (अप्रैल 2018); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2019)।

²⁴

फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल तथा नारनौल।

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

3.4 श्रमिक कल्याण उपकर की कम वसूली

कंपनी ने आपूर्ति हिस्से पर ठेकेदारों के बिलों से श्रम कल्याण उपकर वसूल नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 45.97 लाख की कम वसूली हुई।

भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम) की धारा 3 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर किसी भी संगठन द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर का संग्रहण और उगाही का प्रावधान है। तदनुसार, भारत सरकार ने नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर लगाने की उगाही (सितंबर 1996) को अधिसूचित किया। इसके अतिरिक्त, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम, 1998 की धारा 3 के अनुसार निर्माण की लागत में, भूमि की कीमत एवं कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का प्रदत्त मुआवजा या देय मुआवजा को छोड़कर भवन या अन्य निर्माण कार्य के संबंध में नियोक्ता द्वारा किए गए सभी व्यय निर्माण लागत में शामिल हैं।

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.) ने टर्नकी आधार पर 132 के.वी. और 66 के.वी. उप-स्टेशनों और लाईनों के निर्माण के लिए दो निविदा²⁵ आमंत्रण नोटिस (एन.आई.टी.) जारी किए (नवंबर 2012 और अगस्त 2014) और एल-1 बोलीदाताओं को प्रत्येक एन.आई.टी. के विरुद्ध दो पृथक कार्य आदेश²⁶ (एक आपूर्ति के लिए और दूसरा निर्माण के लिए) जारी किए (अगस्त 2013 और मई 2015)। आपूर्ति के हिस्से के लिए कार्य आदेश में यह प्रावधान था कि बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत कीमतों में सभी लागू कर, शुल्क और उगाही शामिल थी और नियोक्ता द्वारा इसके लिए कोई दावा नहीं किया जाना था।

लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (फरवरी 2018) कि कंपनी ने केवल ₹ 13.83 करोड़²⁷ के निर्माण की लागत पर एक प्रतिशत की दर से ठेकेदारों के चालू बिलों से श्रम कल्याण उपकर की कटौती की और बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में ₹ 45.97 करोड़²⁸ की आपूर्ति (सामग्री) की लागत पर ₹ 45.97 लाख का उपकर वसूल नहीं किया। सामग्री, निर्माण कार्य का एक अभिन्न अंग है और इस प्रकार निर्माण लागत में भौतिक लागत और निर्माण दोनों शामिल हैं। मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय²⁹ (मई 2012) में बताया है कि निर्माण की लागत को आपूर्ति भाग और निर्माण भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता है। निर्माण की कुल लागत पर उपकर लगाया जाता है, जिसमें आपूर्ति भाग शामिल होता है।

²⁵ एन.आई.टी. संख्या 629 तथा 688.

²⁶ एन.आई.टी. संख्या 629 (आपूर्ति भाग ₹ 21.23 करोड़ और निर्माण भाग ₹ 5.07 करोड़) तथा एन.आई.टी. संख्या 688 (आपूर्ति भाग ₹ 30.79 करोड़ और निर्माण भाग ₹ 9.98 करोड़)।

²⁷ एन.आई.टी. 629 के अंतर्गत ₹ 3.83 करोड़ और एन.आई.टी. 688 के अंतर्गत ₹ 9.87 करोड़ तथा ₹ 0.13 करोड़।

²⁸ एन.आई.टी. 629 के अंतर्गत ₹ 18.97 करोड़ तथा एन.आई.टी. 688 के अंतर्गत ₹ 27 करोड़।

²⁹ मैसर्स जी.वी.पी.आर. इंजीनियर्स लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य।

आपूर्ति हिस्से पर उपकर नहीं लगाने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों के बिल से ₹ 45.97 लाख³⁰ के उपकर की कम वसूली हो पाई और भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को कम जमा हुआ तथा ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचा।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2018) में बताया कि कंपनी दो अलग-अलग अनुबंध करती है जैसे एक विभिन्न उपकरणों/निर्माण/विद्युत उपकरणों की आपूर्ति के लिए और दूसरा सभी उपकरणों के निर्माण के लिए तथा निर्माण हिस्से पर एक प्रतिशत उपकर काटती है। यह मुद्दा 2009-10 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उठाया गया था और श्रम आयुक्त द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर कोपू द्वारा गिरा दिया गया था क्योंकि ठेकेदारों द्वारा सामग्री की आपूर्ति पर उपकर की उगाही नहीं की जानी थी। तथापि, मई 2012 में मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में, यह विवाद सही नहीं है।

कंपनी को अब ठेकेदारों से उपकर काटना चाहिए और इसे भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पास जमा करना चाहिए। आगे यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी ऐसे अन्य कार्य आदेशों के संबंध में भी उद्ग्रहण और वसूली का मामला उठा सकती है।

मामला अप्रैल 2018 में सरकार को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2019)।

³⁰ एन.आई.टी. 688 के लिए ₹ 27 लाख तथा एन.आई.टी. 629 के लिए ₹ 18.97 लाख।